

विंडहोक से गाज़ा तक: जर्मनी की साझेदारी की निरंतरता और “कभी नहीं फिर से” का टूटा हुआ वादा

जर्मनी का नरसंहार से संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं है; यह अस्तित्वगत है। राष्ट्र की आधुनिक पहचान स्मृति, पश्चाताप और „Nie wieder” — „कभी नहीं फिर से” — के वादे पर बनी है। फिर भी, 21वीं सदी में, जब इज़राइल गाज़ा के खिलाफ विनाशकारी युद्ध लड़ रहा है, जिसे बढ़ती संख्या में राज्य, संस्थान और विधिवेत्ता नरसंहार के रूप में मान्यता दे रहे हैं, जर्म phúc खुद को फिर से अत्याचारों में उलझा हुआ पाता है — इस बार सक्षमकर्ता के रूप में।

व्यंग्य भारी है: राज्य, जिसने नरसंहार की रोकथाम को अपनी नैतिक नींव बनाया, अब एक अभियान को हथियारबंद और संरक्षित कर रहा है जो ठीक यही आरोप वहन करता है। जर्मनी की त्रासदी न केवल इतिहास की पुनरावृत्ति में है, बल्कि „कभी नहीं फिर से” के अर्थ की गलत व्याख्या में है। जो सार्वभौमिक वादे के रूप में शुरू हुआ था कि सामूहिक विनाश को रोका जाए, वह एक संकीर्ण आदेश में सख्त हो गया: **यहूदियों को कभी नुकसान न पहुंचाएं** — भले ही इसका मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने की अनदेखी या सुविधा प्रदान करना हो।

नरसंहारपूर्ण आधुनिकता की औपनिवेशिक उत्पत्ति

आधुनिक युग की ओर जर्मनी का मार्ग औपनिवेशिक हिंसा से पक्का था। 1904 और 1908 के बीच, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका (अब नामीबिया) में अपने शासन के दौरान, जनरल लोथार वॉन ट्रौथा के नेतृत्व में जर्मन बलों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह के बाद **हेरेरो और नामा** लोगों के दसियों हज़ार को नष्ट कर दिया। बचे लोगों को मरने के लिए रेगिस्तान में भगा दिया गया या **शार्क द्वीप** जैसे एकाग्रता शिविरों में कैद किया गया, जहां वे भूख, जबरन श्रम और चिकित्सा प्रयोगों के अधीन थे।

इतिहासकार इसे **20वीं सदी का पहला नरसंहार** मानते हैं, और होलोकॉस्ट के साथ इसकी निरंतरताएं निर्विवाद हैं। नस्लीय छद्म-विज्ञान, नौकरशाहीकृत हत्या और एकाग्रता शिविरों ने नामीबिया में प्रारंभिक अभिव्यक्ति पाई। यूजीन फिशर, जिन्होंने मारे गए हेरेरो और नामा के खोपड़ियों पर “नस्लीय अध्ययन” किए, बाद में नाज़ियों के तहत एक प्रमुख यूजेनिस्ट बने और **मीन कैम्पफ** में उद्धृत सिद्धांतों को पढ़ाया।

हेरेरो-नामा नरसंहार कोई विचलन नहीं था, बल्कि एक ब्लूप्रिंट था — विनाशकारी आधुनिकता का औपनिवेशिक परीक्षण। नस्लीय पदानुक्रम की तर्कसंगतता, एक बार विदेश निर्यात की गई, अंततः यूरोप लौट आई, होलोकॉस्ट के रूप में औद्योगीकृत और यांत्रिक।

होलोकॉस्ट और जिम्मेदारी की विरासत

1945 के बाद, जर्मनी ने गहन हिसाब-किताब किया। होलोकॉस्ट आधुनिक सभ्यता का केंद्रीय आघात बन गया, और जर्मनी की **Vergangenheitsbewältigung** — अतीत से जूझना — ने इसकी राजनीतिक और नैतिक पुनर्जन्म को परिभाषित किया। नई संघीय गणराज्य ने एक संविधान पर आधारित खुद को स्थापित किया जो मानवीय गरिमा को स्थापित करता है और नरसंहार हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने की स्पष्ट बाध्यता अपनाई।

फिर भी, समय के साथ, इस सबक की सार्वभौमिकता संकीर्ण हो गई। होलोकॉस्ट की अद्वितीयता, सभी उत्पीड़न के शिकारियों के साथ एकजुटता को प्रेरित करने के बजाय, यहूदियों और इज़राइल के प्रति विशेष बाध्यता के सिद्धांत में सख्त हो गई। लगातार जर्मन सरकारों ने इज़राइल की सुरक्षा को **Staatsräson** — राज्य कारण — के रूप में स्थापित किया और नैतिक पश्चाताप को रणनीतिक गठबंधन में बदल दिया।

इस विकास ने “कभी नहीं फिर से” को सार्वभौमिक निषेध से **राष्ट्रीय न्यूरोसिस** में बदल दिया, जहां यहूदियों के प्रति ऐतिहासिक अपराधबोध दूसरों के प्रति सहानुभूति — विशेष रूप से फिलिस्तीनियों — को ढक देता है। नैतिक रिप्लेक्स रक्षात्मक हो गया बजाय चिंतनशील, प्रदर्शनकारी बजाय सैद्धांतिक।

गाज़ा और “कभी नहीं फिर से” का उलटा

इज़राइल की सैन्य अभियान गाज़ा में, जो अक्टूबर 2023 में शुरू हुई, ने दसियों हज़ार नागरिकों को मार डाला और मानवीय आपदा पैदा की। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, तुर्की और बोलीविया जैसे राज्य, साथ ही संयुक्त राष्ट्र की अपनी जांच आयोग, ने इज़राइल के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नरसंहार करार दिया है।

जर्मनी, हालांकि, इज़राइल के सबसे दृढ़ रक्षकों में से एक बना हुआ है। यह हथियार निर्यात को मंजूरी देना जारी रखता है, कूटनीतिक कवर प्रदान करता है और आंतरिक असहमति को दबाता है। 2025 में, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने गाज़ा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की सीमित निलंबन की घोषणा की, लेकिन केवल निरंतर वैश्विक आलोचना और आंतरिक विरोधों के बाद। इस बीच, जर्मनी ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों को दबाया, कलाकारों और शिक्षाविदों को सेंसर किया, और फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत को यहूदी-विरोधीवाद से जोड़ा।

वास्तव में, जर्मनी ने अपनी ऐतिहासिक वादे की पुनर्व्याख्या की है। **„कभी नहीं फिर से“** अब **„कभी नहीं फिर से किसी भी लोगों के लिए“** का मतलब नहीं रखता — यह **„कभी नहीं फिर से यहूदियों का सामना करें“** का मतलब है। परिणाम नैतिक उलटा है: राष्ट्र, जिसने एक बार नरसंहार को रोकने का वादा किया था, अब इसमें साझेदारी को तर्कसंगत बनाता है।

“स्कूलयार्ड बुली” सादृश्य: बचाव की नैतिक मनोविज्ञान

जर्मनी की स्थिति **स्कूलयार्ड बुली की मनोविज्ञान** से मिलती है, जो एक लड़ाई में अपमानित होने के बाद, इस विरोधी को फिर से चुनौती न देने की कसम खाता है — नैतिक जागृति से नहीं, बल्कि डर से। हिंसा को पूरी तरह त्यागने के बजाय, बुली बस आक्रामकता को कमजोर समझे जाने वालों की ओर निर्देशित करता है।

इस सादृश्य में, इज़राइल अछूत योद्धा है, हमेशा आलोचना से परे; फिलिस्तीनी और उनके समर्थक नए स्वीकार्य लक्ष्य बन जाते हैं। जर्मनी, अपने अतीत से आघातग्रस्त, ने चिंतन को बचाव से बदल दिया है। इसकी ऐतिहासिक अपराधबोध **नैतिक कायरता** में रूपांतरित हो गई है: यह शक्ति के सामने नहीं खड़ी होगी जब वह शक्ति अपने पूर्व शिकारों की नैतिक आभा में लिपटी हो।

व्यंग्य कड़वा है। **एक** नरसंहार के अपराधी न होने की कोशिश में, जर्मनी दूसरे में साझेदार बनने का जोखिम उठाता है।

जर्मनी की एकमात्र हस्तक्षेप: अपराधबोध से संरक्षकता तक

निकारागुआ बनाम जर्मनी में खुद को प्रतिवादी पाने से पहले, बर्लिन ने पहले से ही **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल** में इतिहास के गलत पक्ष पर खुद को रखा था। जनवरी 2024 में, जर्मनी **दुनिया का एकमात्र राज्य** बन गया जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में **इज़राइल के पक्ष में** औपचारिक रूप से हस्तक्षेप किया, नरसंहार सम्मेलन के तहत अपनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए — नरसंहार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसे करने का आरोप लगाए गए राज्य की रक्षा के लिए।

प्रतीकवाद तीखा था। जबकि अधिकांश वैश्विक दक्षिण दक्षिण अफ्रीकी मामले के पीछे एकजुट हुआ, जर्मनी विश्व शक्तियों के बीच अलग-थलग खड़ा रहा और इनकार की औचित्य के रूप में “कभी नहीं फिर से” का हवाला दिया। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम — इज़राइल के निकटतम राजनीतिक सहयोगी — अदालत में उपस्थित होने से बच गए।

उस पल में, जर्मनी एक पोस्ट-नरसंहार राष्ट्र से, जो मुक्ति की तलाश कर रहा था, **दूसरे के अत्याचारों के लिए दंडमुक्ति का संरक्षक** में बदल गया। इशारा कानून से कम, पहचान से अधिक था: नैतिक प्रक्षेपण का कार्य जिसमें होलोकास्ट अपराधबोध इज़राइली शक्ति का ढाल बन गया।

कानूनी हिसाब: निकारागुआ बनाम जर्मनी

मार्च 2024 में, निकारागुआ ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में मुकदमा दायर किया और जर्मनी पर गाज़ा युद्ध के बीच इज़राइल को हथियार और राजनीतिक समर्थन प्रदान करके नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि ICJ ने अप्रैल 2024 में आपातकालीन उपाय जारी करने से इनकार कर दिया, इसने मामले को खारिज नहीं किया, जो योग्यता पर जारी है।

यह कार्यवाही ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है: वैश्विक दक्षिण का एक राज्य नरसंहार सम्मेलन को न केवल सीधे अपराधी के खिलाफ, बल्कि साझेदारी के आरोपित शक्तिशाली सहयोगी के खिलाफ लागू करता है। यह परीक्षण करता है कि क्या नरसंहार को रोकने की बाध्यता उन पर समान रूप से लागू होती है जो **इसे सक्षम बनाते हैं**।

जर्मनी का बचाव कानूनी औपचारिकता पर टिका है — जोर देकर कहता है कि इसके हथियार निर्यात कानूनी हैं और इसमें किसी लोगों को नष्ट करने का इरादा नहीं है। लेकिन प्रश्न जिसका अदालत को सामना करना चाहिए, नैतिक जितना कानूनी है: क्या कोई राज्य नरसंहार की स्मृति का आह्वान कर सकता है जबकि वह चल रहे एक का भौतिक समर्थन कर रहा हो?

साझेदारी की निरंतरताएं

समय के साथ, जर्मनी की साझेदारी एक पैटर्न का पालन करती रही है।

- नामीबिया में, इसने व्यवस्था के संरक्षण के रूप में विनाश को उचित ठहराया।
- होलोकॉस्ट में, इसने नस्लीय शुद्धता की रक्षा के रूप में हत्या को नौकरशाहीकृत किया।
- गाज़ा में, यह ऐतिहासिक प्रायश्चित की रक्षा के रूप में दूसरे के विनाश को वैध बनाता है।

हर मामले में, नैतिक तर्कसंगतता संरचनात्मक हिंसा को मास्क करती है। हर मामले में, “सुरक्षा” और “कर्तव्य” मानवीय विनाश को माफ करने के लिए आह्वान किए जाते हैं।

जैसा कि पोस्टकोलोनियल सिद्धांतकार अचिले म्बेम्बे नोट करते हैं, **यूरोप की अपनी हिंसा की स्मृति अक्सर नई हिंसा की औचित्य बन जाती है**। जर्मनी का नैतिक शब्दावली — नरसंहार, स्मृति, जिम्मेदारी — अंदर की ओर मुड़ जाता है, सार्वभौमिक न्याय के बजाय राष्ट्रीय मुक्ति की सेवा करता है।

सार्वभौमिक “कभी नहीं फिर से” की बहाली

अपने अर्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए, “कभी नहीं फिर से” को अपनी सार्वभौमिकता में बहाल किया जाना चाहिए। होलोकॉस्ट उत्तरजीवी जैसे **प्रिमो लेवी** और **हन्ना अरेंड्ट** ने कभी नहीं इरादा किया कि स्मृति एक समूह के दुख को दूसरे पर पवित्र करे। उनके लिए, ऑशविट्ज़ केवल यहूदी शिकार का स्मारक नहीं था, बल्कि मानवीय गरिमा की नाजुकता की चेतावनी थी।

जैसा कि लेवी ने लिखा: **„यह हुआ, इसलिए यह फिर से हो सकता है।”** नैतिक अनिवार्यता यह सुनिश्चित करना था कि यह न हो — किसी के लिए भी।

जर्मनी का आगे का मार्ग यह समझने में निहित है कि पश्चाताप राज्य के प्रति निष्ठा नहीं है, बल्कि सिद्धांत के प्रति निष्ठा है। फिलिस्तीनियों के लिए न्याय का समर्थन यहूदी दुख की स्मृति को धोखा नहीं देता; यह इसे सम्मानित करता है। “कभी नहीं फिर से” का सच्चा सबक यह है कि नरसंहार, एक बार कहीं सहन किया गया, हर जगह मानवता को खतरा देता है।

निष्कर्ष

जर्मनी का नरसंहार से सामना खत्म होने से बहुत दूर है। नामीबिया के रेगिस्तानों से यूरोप के एकाग्रता शिविरों तक, और अब गाज़ा के खंडहरों तक, वही नैतिक प्रश्न बना हुआ है: क्या जर्मनी अपनी इतिहास से सीखेगा या इसे नए रूपों में दोहराएगा?

„कभी नहीं फिर से“ की इसकी गलत व्याख्या — निष्ठा की शपथ के रूप में बजाय सार्वभौमिक निषेध — ने स्मृति को साझेदारी में बदल दिया है। स्कूलयार्ड सादृश्य को पैराफ्रेज़ करने के लिए: सबक **„कभी नहीं फिर से इस विरोधी से लड़ें“** नहीं है, बल्कि **„कभी नहीं फिर से बुली बनें।“**

पचहत्तर वर्षों तक, जर्मनी ने होलोकॉस्ट की अत्याचारों के लिए इज़राइल को मुआवजा दिया — नैतिक और भौतिक पुनर्स्थापना का कार्य जो इतिहास को सहनीय बनाने की कोशिश करता था। फिर भी, यदि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अंततः पाता है कि जर्मनी का इज़राइल समर्थन गाज़ा में नरसंहार को सुविधाजनक बनाया, तो व्यंग्य विनाशकारी होगा: राज्य, जिसने एक बार यहूदियों के खिलाफ नरसंहार के लिए मुआवजा दिया, खुद को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य पा सकता है।

उस मामले में, जर्मनी का प्रायश्चित पूर्ण चक्र बंद कर देगा — प्रमाण कि इतिहास, जब वास्तव में सामना नहीं किया जाता, फिर से और फिर से भुगतान मांगने का तरीका रखता है। केवल “कभी नहीं फिर से” को इसके सार्वभौमिक अर्थ में बहाल करके — किसी के लिए भी कभी नहीं — जर्मनी अंततः इस चक्र को तोड़ सकता है और मानवता के प्रति अपनी वादे को भुना सकता है।

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

- नरसंहार की रोकथाम और दंड के सम्मेलन का अनुप्रयोग (दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल), अंतरिम उपायों पर आदेश, 26 जनवरी 2024।
- जर्मनी संघीय गणराज्य की हस्तक्षेप घोषणा (दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल), 12 जनवरी 2024 को दायर।
- गाज़ा पट्टी में नरसंहार सम्मेलन के कथित उल्लंघनों से संबंधित मामला (निकारागुआ बनाम जर्मनी), 1 मार्च 2024 को दायर आवेदन; अंतरिम उपायों पर आदेश, 30 अप्रैल 2024।
- ICJ प्रेस विज्ञप्तियां नंबर 2024/13, 2024/17 और 2024/25।

संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन

- कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग, गाज़ा में स्थिति पर रिपोर्ट, 16 सितंबर 2025।
- इज़राइली प्रथाओं पर संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति, रिपोर्ट A/79/450, 14 नवंबर 2024।
- इस्लामी सहयोग संगठन (OIC), अंतिम कम्युनिके, 6 दिसंबर 2023।
- अरब राज्यों की खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), शिखर सम्मेलन घोषणा, 1 दिसंबर 2024।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा, शाब्दिक रिकॉर्ड, राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो (कोलंबिया) की घोषणा, 23 सितंबर 2025।

राज्य और सरकारें

- दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, कार्यवाही शुरू करने की आवेदन, ICJ, 29 दिसंबर 2023।
- तुर्की गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़राइल में हस्तक्षेप घोषणा, 7 अगस्त 2024।
- निकारागुआ गणराज्य, कार्यवाही शुरू करने की आवेदन (निकारागुआ बनाम जर्मनी), ICJ, 1 मार्च 2024।
- ब्राज़ील, कोलंबिया, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया और बोलीविया की सरकारों की घोषणाएं (2023–2025)।

मानवाधिकार और कानूनी संगठन

- एमनेस्टी इंटरनेशनल, इज़राइल/OPT: गाज़ा में युद्ध हथियार के रूप में भूख का उपयोग, रिपोर्ट और प्रेस विज्ञप्तियां, जनवरी–सितंबर 2025।
- ह्यूमन राइट्स वॉच, „मिट्टी दिया: गाज़ा में इज़राइल के नरसंहार कार्य“, 19 दिसंबर 2024।
- यूरोपीय संवैधानिक और मानवाधिकार केंद्र (ECCHR), कानूनी राय: गाज़ा में नरसंहार में जर्मनी की साझेदारी, 10 दिसंबर 2024।
- मानवाधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (FIDH), गाज़ा नरसंहार पर घोषणा, 2025।

- नरसंहार विद्वानों की अंतरराष्ट्रीय संघ (IAGS), संकल्प, 31 अगस्त 2025।
- बेत्सेलेम, **हमारा नरसंहार: इज़राइल का गाज़ा के खिलाफ युद्ध 2023-2025**, 2025।
- फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स – इज़राइल (PHRI), **गाज़ा में स्वास्थ्य और नरसंहार**, 2025।
- अल-हक, **गाज़ा में नरसंहार कार्यों का रजिस्टर**, 2024-2025।
- यूरो-मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर, प्रेस विज्ञप्तियां और स्थिति रिपोर्ट, 2024-2025।
- मेडिको इंटरनेशनल, **गाज़ा पर साक्षात्कार और वकालत सुविधाएं**, 2025।

वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक कार्य

- अचिले म्बेम्बे, **काली तर्क की आलोचना** (2017) और **नेक्रोपॉलिटिक्स** (2019)।
- हन्ना अरेंड्ट, **टोटलिटैरियनिज़्म की उत्पत्ति** (1951)।
- प्रिमो लेवी, **डूबे और बचाए गए** (1986)।
- जुरगेन ज़िमरर और जोआचिम ज़ेलर (संपा.), **जर्मन दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में नरसंहार: 1904-1908 की औपनिवेशिक युद्ध और इसके परिणाम** (2008)।
- इसाबेल हल, **पूर्ण विनाश: साम्राज्यवादी जर्मनी में सैन्य संस्कृति और युद्ध की प्रथाएं** (2005)।

मीडिया कवरेज

- **द गार्डियन**, „ICJ जर्मनी को इज़राइल को हथियार बिक्री रोकने का आदेश देने की अनुरोध को अस्वीकार करता है“, 30 अप्रैल 2024।
- **रॉयटर्स**, „विश्व अदालत जर्मन हथियार निर्यात पर आपातकालीन उपायों को अस्वीकार करती है“, 30 अप्रैल 2024।
- **फाइनेंशियल टाइम्स**, „जर्मनी के मर्ज़: गाज़ा में इज़राइल के कार्य अब उचित नहीं ठहराए जा सकते“, 3 मई 2025।
- **ले मॉडे**, „जर्मन चांसलर मर्ज़ इज़राइल को हथियार डिलीवरी के निलंबन को उचित ठहराने के लिए मजबूर“, 12 अगस्त 2025।
- **टाइम मैगज़ीन**, „जर्मनी गाज़ा से संबंधित हथियार बिक्री इज़राइल को निलंबित करता है जबकि कब्जा योजना वैश्विक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है“, अगस्त 2025।
- **अल जज़ीरा**, „नामीबिया, गाज़ा और नरसंहार पर जर्मन पाखंड“, 20 फरवरी 2024।
- **एपी न्यूज़**, „जर्मनी गाज़ा में उपयोग के लिए इज़राइल को सैन्य निर्यात रोकता है“, अगस्त 2025।
- **डॉयचे वेले**, „जर्मनी ICJ में इज़राइल के समर्थन में औपचारिक रूप से हस्तक्षेप करता है“, जनवरी 2024।
- **वाशिंगटन पोस्ट**, „जर्मनी एकमात्र देश है जो विश्व अदालत में इज़राइल से जुड़ता है“, जनवरी 2024।